

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1856] No. 1856] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2019/आषाढ़ 4, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2019/ ASHADHA 4, 1941

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2019

का. **आ**. **2068 (अ).**— भारत में विद्युत वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना फेज- II (फेम इंडिया फेज- II) को दिनांक 8 मार्च, 2019 के का.आ. सं. 1300 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

- 2. जबिक उक्त अधिसूचना की धारा 15 में योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने हेतु वाहनों की पात्रता श्रेणी की प्रौद्योगिकी परिभाषाओं के लिए पृथक अधिसूचना के बारे में वर्णन किया गया है।
- 3. जबिक उक्त अधिसूचना की धारा 19 में इस योजना के अन्तर्गत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने हेतु पात्र वाहनों में प्रयोग होने वाली उन्नत बैटरियों को परिभाषित करने के लिए पृथक अधिसूचना के बारे में वर्णन किया गया है।
- 4. जबिक उक्त अधिसूचना की धारा 28 में भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र होने के लिए वाहनों के कार्य-निष्पादन और दक्षता पैरामीटरों को परिभाषित करने हेतु पृथक अधिसूचना के लिए भी एक संदर्भ किया गया है।
- 5. इसलिए, इस योजना के तहत मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र वाहनों की पात्रता श्रेणी की प्रौद्योगिकी परिभाषाओं और वाहनों के कार्य-निष्पादन और दक्षता [ई-बसों और चौपहियों के अलावा (एसएचईवी/पीएचईवी/आरईईवी)] को भारत के राजपत्र (असाधारण) में का.आ. सं. 1472(अ) दिनांक 28 मार्च, 2019 के द्वारा अधिसूचित किया गया था।
 - 6. इसलिए, अब, फेम योजना के चरण-II के तहत मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र (i) इलेक्ट्रिक बस हेतु कार्य-निष्पादन एवं दक्षता पात्रता मानदंड और (ii) चौपहियों (एसएचईवी/पीएचईवी/आरईईवी) के लिए कार्य-निष्पादन पात्रता मानदंड को एतदद्वारा क्रमशः अनुबंध- I और अनुबंध- II के अनुसार अधिसुचित किया जाता है।

[फा.सं.1(1)/2019-एईआई]

प्रवीण एल. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

3049 GI/2019 (1)

अनुबंध- I

फेम योजना के चरण-॥ के तहत इलेक्ट्रिक बस श्रेणी वाहन मॉडल के लिए कार्य-निष्पादन एवं दक्षता पात्रता मानदंड [का.आ.1300 (अ) दिनांक 08 मार्च, 2019 की धारा 28 के अनुसार]

क्र.सं.	वाहन सेगमेंट	वाहन	वाहन मॉडल पात्रता मानदंड					
	सगमट	श्रेणी*1	(अनुबंध में विनिर्दिष्ट मानकों/प्रक्रियाओं के अनुसार मापे जाएंगे)					
			न्यूनतम 	न्यूनतम 	अधिकतम इलेक्ट्रिक ऊर्जा	न्यूनतम अधिकतम	न्यूनतम	न्यूनतम
			रेंज ^{*2}	रेंज ^{*3}	खपत ^{*4}	जावकराम गति ^{*5}	त्वरण* ⁵	ग्रेडेबिलिटी*5
			(किमी)	(किमी)	(किलोवाट घंटा/100 किमी)	(किमी/घंटा)	(मी./से ²)	(डिग्री)
1	9 मीटर और इससे कम लंबाई वाली ई- बस	एम3	140	120	100 से कम	70	0.8	9.7 (17%)
2	9 से 12 मीटर की लंबाई वाली ई- बस	एम3	140	120	140 से कम	70	0.8	9.7 (17%)

टिप्पणी:

- *1 जैसा कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली (सीएमवीआर), 1989 में परिभाषित किया गया है।
- *2 सीएमवीआर, 1989 में उल्लिखित लागू परीक्षण मानक/प्रक्रिया के अनुसार।
- *³ सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) और प्रचालन में एचवीएसी (निर्धारित तापमान 24 ± 4 डिग्री सेंटीग्रेट) पर मापन किया जाएगा।
- *4 फेम || पात्रता आकलन प्रक्रिया के अनुसार मापन किया जाएगा।
- *5 सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) पर मापन किया जाएगा।

अनुबंध-II

चौपहिया: एसएचईवी/पीएचईवी/आरईईवी के लिए कार्य-निष्पादन पात्रता मानदंड

(क) गैसोलीन के समतुल्य ईंधन खपत (।/ 100 किमी) मानदंड – लक्ष्य सीमा

ईंधन श्रेणी	एसएचईवी	पीएचईवी/आरईईवी		
गैसोलीन/एलपीजी	0.0024*0.5M + 3.0034	0.002*0.25M + 3.0034		
डीजल/सीएनजी	0.0024*0.885*0.5M + 3.0034	0.0024*0.885*0.25M + 3.0034		
* 'M' से तात्पर्य वाहन के बिन लदे भार (किग्रा में) से है ।				

<u>(ख) इलेक्ट्रिक रेंज मानदंड</u>

पैरामीटर	एसएचईवी	पीएचईवी/आरईईवी
इलेक्ट्रिक रेंज (किमी में)	-	40

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2019

- **S.O. 2068** (E).— Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME India Phase II) has been notified in the Gazette of India vide S.O. No. 1300 (E) dated 8th March 2019.
- 2. Whereas clause 15 of the said notification mentions about separate notification for technology definitions of the eligible category of vehicles for availing demand incentives under the scheme.
- 3. Whereas clause 19 of the said notification further mentions about separate notification defining Advanced Batteries to be used in the vehicles to be eligible for availing demand incentives under this scheme.
- 4. Whereas clause 28 of the said notification also makes a reference for separate notification for defining performance & efficiency parameters for vehicles to be eligible under this scheme.

- 5. Therefore, Technology Definitions for the eligible category of vehicles and Performance & Efficiency of vehicles [except eBuses and 4Ws (SHEV/PHEV/REEV)] to be eligible for demand incentive under the scheme were notified vide S.O. No. 1472(E) dated 28th March 2019 in the Gazette of India (Extraordinary).
- 6. Now, therefore, (i) Performance & Efficiency Eligibility Criteria for Electric Bus and (ii) Performance Eligibility Criteria for 4 Wheelers [SHEV/PHEV/REEV], to be eligible for demand incentive under Phase-II of FAME Scheme, are hereby notified as per ANNEXURE-I and ANNEXURE-II respectively.

[F.No. 1(1)/2019-AEI]

PRAVIN L. AGRAWAL, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

Performance & Efficiency Eligibility Criteria for Electric Bus Category Vehicle Model under FAME India Phase II

(AS PER CLAUSE 28 of S.O. 1300(E) dated 8th March 2019)

Sr.	Vehicle	Vehicle *1	Vehicle Model Eligibility Criteria					
No.	Segment	Category*1	(to be measured as per the standards/procedures specified in Annexure)					
			Minimum Range ^{*2}	Minimum Range ^{*3}	Maximum Electric Energy Consumption*4	Minimum Max Speed*5	Minimum Acceleration*5	Minimum Gradeability*5
			(km)	(km)	(kWh/100 km)	(km/hr)	(m/s ²)	(Degree)
1	e-Bus with length 9m and below	M3	140	120	Less than 100	70	0.8	9.7 (17%)
2	e-Bus with length above 9m and up to 12m	М3	140	120	Less than 140	70	0.8	9.7 (17%)

Note:

^{*1} As defined in the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989.

^{*2} As per applicable test standard / Procedure mentioned in CMVR, 1989.

 $^{*^3}$ Measurement shall be carried out at Gross Vehicle Weight (GVW) and HVAC in operation (set temperature 24 ± 4 deg C)

^{*4} Measurement shall be carried out as per FAME II Eligibility Assessment Procedure

^{*5} Measurement shall be carried out at Gross Vehicle weight (GVW)

ANNEXURE-II

Performance Eligibility Criteria for 4W: SHEV/PHEV/REEV

(A) Gasoline equivalent Fuel Consumption (l/ 100 km) criteria – Target Lines

Fuel Category	SHEV	PHEV/REEV		
Gasoline / LPG	0.0024*0.5M + 3.0034	0.002*0.25M + 3.0034		
Diesel / CNG 0.0024*0.885*0.5M + 3.0034		0.0024*0.885*0.25M + 3.0034		
• 'M' to be taken as unladen mass (in Kg) of the vehicle.				

(B) <u>Electric Range Criteria</u>

Parameter	SHEV	PHEV/REEV
Electric Range (km)	-	40